1405
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0 ककराना

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पुत्र चोकमसिंह का नाम जमाबन्दी में सम्मत खाता संख्या 443 में सुन्दरलाल पुत्र चोकमराम दर्ज है प्रार्थी के आधारकार्ड में सुरेन्द्रसिंह पुत्र चोकमसिंह दर्ज है जो सही है शुद्ध किया जाना उचित है

15/11/21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 / दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नही है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

16/11/2021

तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- .....

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	ककराना	2075-2078	443	सुन्दरलाल पुत्र चोकमराम	सुरेन्द्रसिंह पुत्र चोकमसिंह

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 16/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1139-1140

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:10:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner